

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/५११  
दिनांक : 10.05.2013

सचिव,  
स्वामी कल्याण देव वैदिक कालेज फार मैनेजमेंट एण्ड एजुकेशन,  
ग्राम-सिकन्दरपुर, पोस्ट-झिझाना, जिला-मुजफ्फरनगर

महोदय,

अनुसंधान उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्या सम्ब-73/सतर-2-2013-2 (79)/2013, दिनांक 09.05.2013 का सदर्न ग्रहण करने का कष्ट कर, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (विधायकशासित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अन्तर्गत स्वामी कल्याण देव वैदिक कालेज फार मैनेजमेंट एण्ड एजुकेशन, ग्राम-सिकन्दरपुर, पोस्ट-झिझाना, जिला-मुजफ्फरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्वयं चयनित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन निरीक्षण मण्डल की आज्ञा प्राप्त न होने एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रपत्र-बी पर की गयी संस्तुति के दृष्टिकोण दिनांक 01.07.2013 से सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था शासनपत्र संख्या-2851/सतर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में बलित शर्तों द्वारा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
02. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शालन द्वारा अनुसंधान संशोधन शीटों को सुतंगत एवं अक्षरत शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षिक क्षेत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आर्गेंटिफ अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसी में पठन-पाठन कराया जायेगा।
03. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिधिमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही विद्यमानतः की जायेगी।
04. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भाषनीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुसंधान की के आदेशानुसार स्वामी कल्याण देव वैदिक कालेज फार मैनेजमेंट एण्ड एजुकेशन, ग्राम-सिकन्दरपुर, पोस्ट-झिझाना, जिला-मुजफ्फरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्वयं चयनित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन निरीक्षण मण्डल की आज्ञा प्राप्त न होने एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रपत्र-बी पर की गयी संस्तुति के दृष्टिकोण दिनांक 01.07.2013 से सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूचना है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों की प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि -

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनायें प्रेषित।
2. कुलसचिव, प० डायरेक्टरील संप्रदाय मेरठपुर विश्वविद्यालय, मेरठपुर।
3. सहायक कुलसचिव (संकाय) को सूचनायें।
4. प्रभारी, कॉलेज रीज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनायें प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टाफ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनायें प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोकरानल) रीज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनायें प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट की इस अध्यापक के साथ प्रेषित कि यह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का क्रम वेबसाईट पर शामिल हो कष्ट कर।
8. गाई फाइल हेतु।

सहाय कुलसचिव (सम्बद्धता)